अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2017-हिं.अ. दिनांक: 27.10.2017

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.09.2017 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.09.2017 को सायं 04.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। संस्थान के सभी संबद्ध विभाग/अनुभाग/केंद्र से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

प्रेमसिंह
27.10.17
(प्रेम सिंह तोमर)
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं
सदस्य-सचिव

वितरण:-

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यगण।
2. सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।
3. चिकित्सा अधीक्षक, आऊटरीच ओ.पी.डी., एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर।
4. प्रभारी, संकाय, अस्पताल कंप्यूटरीकरण सेवा।
5. प्रशासन अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र।
6. प्रशासन अधिकारी (भर्ती)।
7. प्रशासन अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.)।
8. प्रशासन अधिकारी, शैक्षिक अनुभाग।
9. सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग।

श्रीमती अंकिता सैनी कृपया इसे वेबसाइट मे अपलोड करें
07/11/17

Mr. Aman ICA

जारी–2/-

10. वरिष्ठ भंण्डार अधिकारी, भण्डार अनुभाग (नि.का)।
11. प्रभारी अधिकारी, कंप्यूटर सुविधा।
12. प्रभारी अधिकारी, जनसंपर्क प्रभाग।
13. प्रशासन अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ।
14. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ।
15. प्रभारी अधिकारी, सीमेट।
16. सभी नोडल राजभाषा अधिकारीगण।

प्रतिलिपि:

- निदेशक/संकायाध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक(प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/अधीक्षण अभियंता/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- उप-निदेशक(कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, ए-149, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23.
- प्रभारी संकाय (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

श्री एस० एन रघुकुमार

6.11.17.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.09.2017 को आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में दिनांक 28.09.2017 को सायं 04.00 बजे पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 19वीं बैठक प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/विशेष आमंत्रित अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	डॉ. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	प्रो. बलराम एरन, संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)	उपाध्यक्ष
3.	डॉ. डी.के. शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
4.	श्री नीरज कुमार शर्मा, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी	सदस्य
5.	डॉ. जी.के. रथ, आचार्य एवं प्रमुख डॉ. भी.रा.अ.सं.रो.कैं.अ.	सदस्य
6.	डॉ. राजेश मल्होत्रा, आचार्य एवं प्रमुख ज.प्र.ना.ए.ट्रॉमा केन्द्र	सदस्य
7.	डॉ. आर.के. चड्डा, आचार्य एवं प्रमुख राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद	सदस्य
8.	डॉ. बलराम एरन, आचार्य एवं प्रमुख हृद्वक्ष विज्ञान केंद्र	सदस्य
9.	प्रमुख, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के प्रतिनिधि: डॉ. अनिल गोस्वामी, सह-आचार्य एवं नोडल राजभाषा अधिकारी	सदस्य
10.	डॉ. यू. सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग	सदस्य
11.	डॉ. संजीव लालवानी, कुल-सचिव, शैक्षिक अनुभाग	सदस्य
12.	डॉ. संजय आर्य, मुख्य प्रशासन अधिकारी	सदस्य
13.	श्री सतीश प्रसाद सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर सुविधा	सदस्य

14.	श्री प्रदीप गुप्ता, वरिष्ठ भंडार अधिकारी, भंडार अनुभाग (नि.का.)	सदस्य
15.	डॉ. प्रवीण वशिष्ठ आचार्य एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, डॉ.रा.प्र. केन्द्र	सदस्य
16.	डॉ. आरती विज, आचार्य एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, हृद् तंत्रिका केन्द्र	सदस्य
17.	श्री सतीश कुमार सिंह, प्रशासन अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी डॉ.भी.रा.अ.सं.रो.कैं.अ.	सदस्य
18.	श्री जी.आर. पिल्लई, प्रशासन अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, अस्पताल	सदस्य
19.	सुश्री प्रीति आहलूवालिया, कल्याण अधिकारी, अ.भा.आ.सं.	सदस्य
20.	संयुक्त निदेशक (राजभाषा) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि: श्री राजेश श्रीवास्तव, सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य
21.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
22.	श्री प्रेम सिंह तोमर, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी	सदस्य-सचिव
23.	श्री बी.एस. गिल, प्रशासन अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.)	विशेष आमंत्रित
24.	श्री पल्लव कुमार चित्तेज, प्रशासन अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
25.	डॉ. ओ.पी. शर्मा, सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग	विशेष आमंत्रित
26.	प्रभारी अधिकारी, जनसंपर्क प्रभाग के प्रतिनिधि: श्री सुशील कुमार, कनिष्ठ स्वागत अधिकारी	विशेष आमंत्रित
27.	श्री सतीश कुमार, प्रशासन अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
28.	श्री देव नाथ साह, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
29.	श्री ई.वी.एस. चक्रवर्ती, प्रशासन अधिकारी, ज.प्र.ना.ए.ट्रॉमा केन्द्र	विशेष आमंत्रित
30.	प्रभारी संकाय, अस्पताल सेवा कंप्यूटरीकरण की प्रतिनिधि: सुश्री तृप्ता शर्मा, प्रोग्रामर, कंप्यूटर सुविधा	विशेष आमंत्रित

डॉ. के.के. दीपक, प्रभारी आचार्य, सीमेट अपने पूर्व नियोजित कार्य के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 **<u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।</u>**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की यथावत पुष्टि की गई।

मद सं. 2 **<u>संस्थान में हिंदी अनुवादकों की स्थायी भर्ती करने संबंधी।</u>**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को बताया कि वर्तमान में संस्थान में 04 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक कॉन्ट्रेक्ट आधार पर कार्यरत हैं जिन्हें नियमित रूप से भरा जाना अति आवश्यक है ताकि सभी केंद्रों में हिंदी का स्टाफ उपलब्ध कराया जा सके।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भर्ती अनुभाग द्वारा यथाशीघ्र उक्त हिंदी अनुवादकों के पदों को नियमित रूप से भरा जाए ताकि संस्थान तथा सभी केन्द्रों आदि में हिंदी अनुवादकों की सेवा तुरंत उपलब्ध हो सके और वरिष्ठ हिंदी अधिकारी को आदेश दिया कि वर्तमान में उपलब्ध हिंदी अनुवादकों को आवश्यकतानुसार विभिन्न केन्द्रों/अनुभागों में तैनात किया जाए।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में संस्थान में हिंदी अधिकारी के तीन रिक्त पदों पर वरिष्ठ हिंदी अनुवादकों को नियमित पदोन्नति होने तक हिंदी अधिकारी(कार्यकारी) बनाया जाए और इन पदों हेतु यथाशीघ्र डी.पी.सी. आयोजित की जाए ताकि संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- प्रशासन अधिकारी (भर्ती)

मद सं. 3 **<u>संस्थान में प्रकाशन सहायक (हिंदी) के रिक्त पद को वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद में बदलकर भरे जाने संबंधी।</u>**

इस संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि संस्थान में वर्ष 1997 से प्रकाशन सहायक (हिंदी) के रिक्त पद पर अभी तक नियुक्ति नहीं हो पायी है और समिति की पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि संस्थान में प्रकाशन सहायक (हिंदी) के रिक्त पद को वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद में बदल कर इसे भर लिया जाए। इस संदर्भ में पिछली बैठक में समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में हिंदी अनुभाग द्वारा इस विषय में वर्तमान कार्यालयीन परिस्थितियों एवं अपनी आवश्यकताओं को दर्शाते हुए अपना एक अनुरोध दिनांक 18.08.2017 को भर्ती अनुभाग को प्रस्तुत किया जा चुका है ताकि संस्थान में प्रकाशन सहायक (हिंदी) के रिक्त पद को समाप्त किया जा सके और इस पद को वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद में बदलकर शीघ्र भरने की कार्रवाई की जा सके।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भर्ती अनुभाग द्वारा इस विषय में तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने इसे अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- भर्ती अनुभाग

मद सं. 4 संस्थान के सभी केन्द्रों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन संबंधी।

उपर्युक्त के संबंध में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संस्थान के सभी केंद्रों आदि में राजभाषा हिंदी के कामकाज को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित केन्द्र-प्रमुख की अध्यक्षता में अपने-अपने यहां गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। दिनांक 01.07.2017 से 28.09.2017 तक की अवधि में उक्त बैठकों के आयोजन संबंधी विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	केन्द्र/कार्यालय	बैठक की तारीख
1.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र	27.09.2017
2.	हृद तंत्रिका केन्द्र	20.09.2017
3.	डॉ.भी.रा.अ.सं.कैं.रो.अ.	29.09.2017 (प्रस्तावित)
4.	दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र	बैठक आयोजित नहीं हुई।
5.	ज.प्र.ना.ए.ट्रॉमा केन्द्र	29.09.2017 (प्रस्तावित)
6.	राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र, गाजियाबाद	26.09.2017
7.	आउटरीच ओ.पी.डी., एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर	21.09.2017

उपर्युक्त तथ्यों को विचार में लेते हुए समिति द्वारा संतोष व्यक्त किया गया तथा निर्णय लिया गया कि दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र द्वारा भी नियमानुसार प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने समिति के उक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- प्रमुख, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र

मद सं. 5 संस्थान अस्पताल तथा केंद्रों में टी.सी.एस. द्वारा बनाए जाने वाले रोगियों के कार्डों तथा पर्ची आदि में सूचना द्विभाषी होने संबंधी।

उपर्युक्त के संबंध में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि टी.सी.एस. द्वारा बनाए जाने वाले रोगियों के कार्डों तथा पर्ची आदि में रोगी सूचना केवल अंग्रेजी में ही छापी जा रही है जबकि टी.सी.एस. से पहले ऐसी सूचना द्विभाषी रूप में छापी जा रही थी तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली कई बैठकों में भी यह निर्णय लिया जा चुका है कि नियमानुसार यह सूचना द्विभाषी होनी चाहिए।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान अस्पताल तथा सभी केंद्रों में टी.सी.एस. द्वारा बनाए जाने वाले रोगियों के कार्डों तथा पर्ची आदि में अनिवार्य रूप से रोगी सूचना द्विभाषी रूप में दर्शायी जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- प्रभारी संकाय, अस्पताल कंप्यूटरीकरण सेवा

मद सं. 6 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्त्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संस्थान के लिए हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है जबकि दिनांक 30 जून, 2017 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के अनुसार संस्थान में हिंदी पत्राचार लगभग 51 प्रतिशत ही है।

सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी अवगत कराया कि प्रत्येक तिमाही में संस्थान के 34 विभागों/अनुभागों/केंद्रों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगवाई जाती है जिसे हिंदी अनुभाग द्वारा समेकित करने के पश्चात निदेशक महोदय के अनुमोदन से राजभाषा विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार संस्थान के उक्त 34 विभागों/अनुभागों/केंद्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए पत्राचार आदि संबंधी आंकड़ों की बारी-बारी से समीक्षा की जाती है जिसके अनुपालन में इस बैठक में समिति द्वारा संस्थान के निम्नलिखित 08 अनुभागों/केंद्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (अप्रैल-जून, 2017) की समीक्षा की गई:

1. स्थापना अनुभाग (नि.का.)
2. शैक्षिक अनुभाग
3. परीक्षा अनुभाग
4. भंडार अनुभाग (नि.का.)
5. कंप्यूटर सुविधा
6. जनसंपर्क प्रभाग
7. विधि प्रकोष्ठ
8. समन्वय प्रकोष्ठ

समिति द्वारा उक्त अनुभागों/केंद्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि उक्त अनुभागों/केंद्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए हिंदी पत्राचार आदि में और वृद्धि की जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई -उपर्युक्त सभी अनुभाग

मद सं. 7 संस्थान में लेखन सामग्री आदि में संस्थान संबंधी सूचना द्विभाषी होने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखन सामग्री अनुभाग द्वारा संस्थान में उपलब्ध करवाई जा रही सभी प्रकार की लेखन सामग्री (राइटिंग पैड/रजिस्टर/फाइल कवर आदि) पर संस्थान के नाम-पते आदि संबंधी सूचना द्विभाषी रूप में छपी होनी चाहिए।

इस विषय में समिति द्वारा पूछे जाने पर प्रशासन अधिकारी (सामान्य) द्वारा समिति को जानकारी दी गई कि सभी प्रकार की लेखन सामग्री पर संस्थान के नाम-पते आदि संबंधी सूचना द्विभाषी रूप में छापी जा रही है तथा नोट पैड के पृष्ठों की संख्या 15-20 तक रखने का अनुमोदन पहले ही भंडार अनुभाग को दे दिया गया है जिन पर अंगदान संबंधी स्लोगन की छपाई का निकट भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। हृद् तंत्रिका केन्द्र द्वारा भी सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्रवाई हेतु आदेश दे दिए गए हैं।

समिति द्वारा इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि संस्थान तथा संस्थान के सभी केंद्रों आदि में प्रयोग में लायी जाने वाली सभी प्रकार की लेखन सामग्री (राइटिंग पैड/रजिस्टर/फाइल कवर आदि) पर संस्थान/केंद्र के नाम-पते संबंधी सूचना अनिवार्य रूप से द्विभाषी होनी चाहिए तथा बैठकों में उपयोग में लाए जाने वाले राइटिंग पैड के पृष्ठों की संख्या 15-20 होनी चाहिए और इनके पृष्ठों पर अंगदान आदि संबंधी स्लोगन छपवाए जाएं। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - प्रशासन अधिकारी (सामान्य)/वरिष्ठ भंडार अधिकारी (नि.का.)/सभी केन्द्र

मद सं. 8 <u>संस्थान के कर्मचारियों को हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित अवर श्रेणी लिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नामित किया जा रहा है। वर्तमान में संस्थान के 10 कर्मचारीगण भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गए:

i. भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार आर.के.पुरम स्थित हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र में फरवरी, 2018 से प्रारम्भ होने वाले सत्र में संस्थान के कर्मचारियों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी कर्मचारी को सम्बद्ध अधिकारी द्वारा उक्त अनिवार्य हिंदी टंकण/ आशुलिपि प्रशिक्षण प्राप्त करने से न रोका जाए।
ii. संस्थान में आउटसोर्स आधार पर पहले से नियुक्त कर्मचारियों को सीमेट में ही हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
iii. भर्ती अनुभाग द्वारा आउटसोर्स आधार पर केवल उन्हीं नए कर्मचारियों को भर्ती किया जाए जिन्हें हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण/आशुलिपि का ज्ञान हो।
iv. संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कम्प्यूटर पर हिंदी में टंकण आदि कार्य करने संबंधी एक कार्यशाला आयोजित की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/भर्ती प्रकोष्ठ/सीमेट/सभी संबद्ध विभाग/अनुभाग/केंद्र

मद सं. 09 संस्थान में विभिन्न विभागों/अनुभागों/केंद्रों में नोडल राजभाषा अधिकारियों के कार्य <u>निर्धारण संबंधी।</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संस्थान में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि करने के उद्देश्य से संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/केंद्रों में नोडल राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की जाए और उनको संबद्ध अनुभाग/विभाग/केंद्र में हिंदी के कामकाज की मॉनीटरिंग का कार्य सौंपा जाए।

इस विषय में अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/केंद्रों में पहले ही नोडल राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान के जिन विभागों/अनुभागों/केंद्रों में अभी तक नोडल राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है वहां नोडल राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाए और उन्हें संबद्ध विभाग/अनुभाग/केंद्र में हिंदी के कामकाज की मॉनीटरिंग का कार्य सौंपा जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के उक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग

मद सं. 10 <u>राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यगण द्वारा बैठक में उपस्थित न होने संबंधी।</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कुछ सदस्यगण कार्य की अधिकता अथवा अन्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं और कुछ सदस्य अपने स्थान पर ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को बैठक में भाग लेने भेज देते हैं जोकि अपने विभाग/अनुभाग/केंद्र से संबंधित विषयों पर सही और तथ्यात्मक सूचना समिति के सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं जिससे समिति का बहुमूल्य समय खराब होता है और संबंधित विभाग/अनुभाग/केंद्र से अपेक्षित जानकारी भी समिति को नहीं मिल पाती है।

समिति द्वारा इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि वर्तमान राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया जाए तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए नव-नियुक्त समिति-सदस्यगण को बैठक में स्वयं उपस्थित होने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग

मद सं. 11 आउटरीच ओ.पी.डी., एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर के संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए राजभाषायी निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासनों संबंधी।

सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को आउटरीच ओ.पी.डी.,एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर का राजभाषायी निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मंत्रालय(स्वास्थ्य मंत्रालय)/मुख्यालय (एम्स, नई दिल्ली)/कार्यालय (आउटरीच ओ.पी.डी.,एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर) द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति को कुछ आश्वासन दिए गए थे।

समिति द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को आउटरीच ओ.पी.डी.,एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर के राजभाषायी निरीक्षण के दौरान मंत्रालय(स्वास्थ्य मंत्रालय)/मुख्यालय (एम्स, नई दिल्ली)/कार्यालय (आउटरीच ओ.पी.डी.,एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर) द्वारा दिए गए आश्वासनों को तय समय में पूरा करने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

आश्वासन संख्या	आश्वासन	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सिफरिश
1.	हिंदी जाने वाले सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों से अपेक्षानसुार काम हिंदी में करवाना सुनिश्चित करवाया जाएगा तथा प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों से शत-प्रतिशत हिंदी में कार्य करवाया जाएगा।	इस आश्वासन की पूर्ति हेतु आउटरीच ओ.पी.डी., एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर द्वारा उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
2.	कार्यालय द्वारा प्रयुक्त 58 रजिस्टरों में से किसी भी रजिस्टर में प्रविष्टियां हिंदी में नहीं की जा रही हैं। सभी रजिस्टरों में समस्त प्रविष्टियां हिंदी में की जाएंगी।	इस आश्वासन की पूर्ति हेतु आउटरीच ओ.पी.डी., एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर द्वारा उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
3.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अंतर्गत आवश्यक जांच बिंदु बनाए जाएंगे तथा उनको और प्रभावी बनाया जाएगा।	इस आश्वासन की पूर्ति हेतु आउटरीच ओ.पी.डी., एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर द्वारा उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
4.	"क" और "ख" क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे।	इस आश्वासन की पूर्ति हेतु आउटरीच ओ.पी.डी., एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर द्वारा उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
5.	एम्स, नई दिल्ली द्वारा राजभाषा संवर्ग से संबंधित उच्चतम पद, जो कि प्रशासनिक कार्य से जुड़े अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या के अनुसार संयुक्त निदेशक	इस आश्वासन को पूरा करने हेतु हिंदी अनुभाग द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

	(राजभाषा) के समकक्ष पद का बनता है, इसका/ इसके समकक्ष पद का सृजन/ अपग्रेडेशन कर पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा और नियमानुसार राजभाषा संवर्ग के अन्य पदों का सृजन कर इन्हें तुरंत भरा जाएगा तथा इसकी सूचना समिति सचिवालय को भिजवाई जाएगी।	
6.	कार्यालय द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता ग्रहण की जाएगी तत्पश्चात कार्यालय प्रमुख अपने नगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में नियमित रूप से भाग लेंगे।	इस आश्वासन की पूर्ति हेतु आउटरीच ओ.पी.डी., एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर द्वारा उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
7.	मंत्रालय/ मुख्यालय/ कार्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का समय-समय पर हिंदी संबंधी निरीक्षण किया जाएगा तथा अन्य सभी प्रकार के निरीक्षणों की रिपोर्ट, चाहे वह प्रशासनिक हो, तकनीकी हो या आंतरिक परीक्षा की हो, हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में तैयार की जाएंगी तथा प्रत्येक निरीक्षण रिपोर्ट में राजभाषा के प्रयोग संबंधी टिप्पणी/ अनुदेश दिए जाएंगे।	इस आश्वासन की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/ एम्स, नई दिल्ली/आउटरीच ओ.पी.डी., एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर द्वारा अपने-अपने स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई की जाए।
8.	कार्यालय प्रमुख द्वारा फाइलों पर टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाएंगी तथा पत्रों पर हस्ताक्षर हिंदी में किए जाएंगे।	इस आश्वासन की पूर्ति हेतु आउटरीच ओ.पी.डी., एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर द्वारा उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
9.	मुख्यालय द्वारा प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय "ख" तथा "ग" क्षेत्र में निर्धारित मानदंड के अनुसार न्यूनतम 50%हिंदी पर किया जाएगा व ब्यौरा क्षेत्रवार व भाषावार दर्शाया जाएगा।	इस आश्वासन की पूर्ति हेतु हिंदी अनुभाग द्वारा उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई- चिकित्सा अधीक्षक,
आउटरीच ओ.पी.डी., एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर/हिंदी अनुभाग/
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मद सं. 12 संस्थान तथा विभिन्न केन्द्रों के हिंदी नामों को भावपरक बनाने हेतु संशोधित करके, पुन: अपनाए जाने संबंधी।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समिति की जानकारी में लाया गया कि कुछ केन्द्रों के हिंदी नाम निम्नानुसार संशोधित करके भावपरक बनाए जाने चाहिएं ताकि कार्यालयों के नाम का भाव ठीक प्रकार से समझा जा सके।

क्र.सं.	कार्यालय का वर्तमान नाम	कार्यालय का प्रस्तावित नाम
1.	जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा केन्द्र	जय प्रकाश नारायण एपेक्स दुर्घटना उपचार केन्द्र
2.	राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र, गाजियाबाद	राष्ट्रीय नशा रोग उपचार केन्द्र, गाजियाबाद

इस संदर्भ में विस्तार से विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त केन्द्रों के प्रस्तावित नाम प्रचलन में लाए जाएं। अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई- केन्द्र प्रमुखगण,
राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र, गाजियाबाद/
जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा केन्द्र

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।